

पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल

प्रलिस के लयि:

भारत नरिवाचन आयोग, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, जनपरतनिधित्व अधनियम 1951, चहिन आदेश 1968

मेन्स के लयि:

राजनीतिक दलों का वनियमन, भारत के नरिवाचन आयोग की भूमिकाएँ और ज़मिमेदारियाँ, जनपरतनिधित्व अधनियम का महत्त्व

चर्चा में क्यों?

भारत के [नरिवाचन आयोग](#) ने 86 गैर-मौजूद पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (Registered Unrecognized Political Parties- RUPPs) को असूचीबद्ध कर दिया है और अतरिकित 253 दलों को नषिकरयि RUPPs के रूप में घोषति कयिा है ।

RUPPs को नरिवाचन आयोग द्वारा असूचीबद्ध करने का कारण:

■ नषिकरयि RUPPs:

- 253 RUPPs ने नरिवाचन आयोग दारा दयि गए पत्र/नोटसि का जवाब नहीं दयिा है और न ही कसिी राज्य की आम सभा यम्रष 2014 और 2019 के [लोकसभा](#) अथवा [राज्यसभा](#) चुनाव में भाग लयिा है ।
- [जनपरतनिधित्व अधनियम, 1951](#) की धारा 29A के अनुसार, परत्येक राजनीतिक दल को अपने नाम, प्रधान कार्यालय, पदाधिकारयिों, पते, पैन में कसिी भी बदलाव के बारे में बना कसिी देरी के आयोग को सूचति करना होता है ।

■ असूचीबद्ध:

- [संबंधति राज्यों/केंद्रशासति प्रदेशों के मुख्य नरिवाचन अधिकारयिों](#) द्वारा कयिे गए भौतिक सत्यापन के बाद या संबंधति RUPPs के पंजीकृत पते पर डाक प्राधिकरण से भेजे गए पत्रों/नोटसि की रपौरट के आधार पर 86 RUPPs से कोई जवाब नहीं मलिा ।
 - इसके अतरिकित वे नरिवाचन चहिन (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के तहत लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे ।

राजनीतिक दलों से संबंधति प्रमुख बदि:

पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (RUPP):

■ परचय:

- ऐसे नए पंजीकृत दल जो राज्य स्तरीय दल बनने के लयिे [वधिनसभा](#) या आम चुनावों में पर्याप्त परतशित वोट हासलि नहीं कर पाए हैं अथवा जनिहोंने पंजीकृत होने के बाद से कभी चुनाव नहीं लड़ा है, उन्हें गैर-मान्यता प्राप्त दल माना जाता है ।
- ऐसे दलों को मान्यता प्राप्त दलों को दी जाने वाली सभी सुवधाओं का लाभ नहीं मलिता है ।

■ प्रतीक/ चहिन आवंटन:

- चुनाव चहिन (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के तहत RUPP को सामान्य चहिन प्रदान कयिे जाते हैं ।
- कसिी राज्य के उक्त वधिनसभा चुनाव के संबंध में कूल उम्मीदवारों में से कम-से-कम 5% उम्मीदवारों को खड़ा करने के लयिे वचन के आधार पर RUPP को एक समान चहिन का वशिषाधिकार दयिा जाता है ।
- चुनाव लड़े बना [स्वीकार्य अधिकारों](#) का लाभ उठाकर चुनाव पूर्व उपलब्ध राजनीतिक स्थान पर कब्जा करने वाली ऐसी पार्टयिों की संभावना से इनकार नहीं कयिा जा सकता है ।
 - यह वास्तव में चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों की भीड़ को भी बढ़ाता है और मतदाताओं के लयिे भ्रमति करने वाली स्थतिि भी पैदा करता है ।

■ मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल:

- एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल या तो राष्ट्रीय दल या राज्यस्तरीय दल होगा यदिवह कुछ नरिधारति शर्तों को पूरा करता है ।

- राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बनने के लिये एक दल को पछिले चुनाव के दौरान राज्य विधानसभा या लोकसभा में मतदान के वैध वोटों का एक नश्चिति न्यूनतम प्रतिशत या नश्चिति संख्या में सीटें हासिल करनी होती हैं।
- राजनीतिक दलों को आयोग द्वारा दी गई मान्यता उन्हें प्रतीकों के आवंटन, राज्य के स्वामित्व वाले टेलीविज़न और रेडियो स्टेशनों पर राजनीतिक प्रसारण के लिये समय का प्रावधान तथा मतदाता सूची तक पहुँच जैसे कुछ विशेषाधिकारों को नरिधारित करती है।

राजनीतिक दलों के रूप में मान्यता हेतु नरिधारित शर्तें:

राष्ट्रीय दलों की मान्यता के लिये शर्तें	राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता के लिये शर्तें
<ul style="list-style-type: none"> ■ यदि निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी होती है तो एक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है : <ul style="list-style-type: none"> ○ यदि यह लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में कनिही चार या अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करता है और इसके अलावा यह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में चार सीटें जीतता है, अथवा ○ यदि वह आम चुनाव में लोकसभा में 2% सीटें जीतता है और ये उम्मीदवार तीन राज्यों से चुने जाते हैं, अथवा ○ यदि इसे चार राज्यों में एक राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है। 	<ul style="list-style-type: none"> ■ एक राज्य में यदि निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी होती है: <ul style="list-style-type: none"> ○ यदि यह संबंधित राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करता है और इसके अलावा यह संबंधित राज्य की विधानसभा में 2 सीटें जीतता है, अथवा ○ यदि यह संबंधित राज्य से लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करता है और इसके अलावा, यह संबंधित राज्य से लोकसभा में 1 सीट जीतता है, अथवा ○ यदि यह संबंधित राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में 3% सीटें जीतता है या विधानसभा में 3 सीटें, जो भी अधिक हो या ○ यदि वह संबंधित राज्य से लोकसभा के आम चुनाव में राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या उसके किसी भी अंश के लिये लोकसभा में 1 सीट जीतता है या ○ यदि यह राज्य से लोकसभा या राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 8% प्राप्त करता है। यह शर्त वर्ष 2011 में जोड़ी गई थी।

चुनाव चहिन (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 द्वारा ECI को प्राप्त शक्तियाँ:

- आदेश के पैरा 15 के तहत चुनाव आयोग प्रतिद्वंद्वी समूहों या किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के वर्गों के बीच विवादों का फैसला कर सकता है और इसके नाम तथा चुनाव चहिन पर दावा कर सकता है।
 - आदेश के तहत विवाद या वलिय के मुद्दों का फैसला करने के लिये नरिवाचन आयोग एकमात्र प्राधिकरण है। सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने वर्ष 1971 में सादकि अली और एक अन्य बनाम ECI मामले में इसकी वैधता को बरकरार रखा।
- यह मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य पार्टियों के विवादों पर लागू होता है।
- पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों में विभाजन के मामलों में चुनाव आयोग आमतौर पर विवाद में शामिल गुटों को अपने मतभेदों को आंतरिक रूप से हल करने या अदालत जाने की सलाह देता है।
- चुनाव आयोग द्वारा अब तक लगभग सभी विवादों में पार्टी के प्रतिनिधियों/ पदाधिकारियों, सांसदों और वधायकों के स्पष्ट बहुमत ने एक गुट का समर्थन किया है।
- वर्ष 1968 से पहले चुनाव आयोग ने चुनाव नियम, 1961 के संचालन के तहत अधिसूचना और कार्यकारी आदेश जारी किये।
- जिस दल को पार्टी का चहिन मिला था, उसके अलावा पार्टी के अलग हुए समूह को खुद को एक अलग पार्टी के रूप में पंजीकृत कराना पड़ा।
 - वे पंजीकरण के बाद राज्य या केंद्रीय चुनावों में अपने प्रदर्शन के आधार पर ही राष्ट्रीय या राज्य पार्टी की स्थिति का दावा कर सकते थे।

जनप्रतनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951:

- मुख्य प्रावधान:
 - यह चुनाव और उप-चुनावों के वास्तविक संचालन को नरिंतरित करता है।
 - यह चुनाव कराने के लिये प्रशासनिक मशीनरी प्रदान करता है।
 - यह राजनीतिक दलों के पंजीकरण से संबंधित है।
 - यह सदनों की सदस्यता के लिये अर्हताओं और अयोग्यताओं को नरिदषित करता है।
 - इसमें भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के प्रावधान किये गए हैं।
 - इसमें चुनावों से उत्पन्न संदेहों और विवादों को नपिटाने की प्रक्रिया नरिधारित की गई है।
- राजनीतिक दलों से संबंधित प्रावधान:
 - राजनीतिक दल बनने के लिये प्रत्येक संघ या निकाय को ECI के साथ पंजीकृत होना चाहिये जिसका नरिणय पंजीकरण के संबंध में अंतिम होगा।
 - पंजीकृत राजनीतिक दल, समय के साथ 'राज्य पार्टी' या राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकते हैं।

UPSC सविलि सेवा, वगित वरष के प्रश्न (PYQ):

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2021)

1. भारत में, उम्मीदवारों को तीन नरिवाचन क्षेत्रों से लोकसभा चुनाव लड़ने से प्रतबिंधति करने वाला कोई कानून नहीं है ।
2. वरष 1991 के लोकसभा चुनाव में देवी लाल ने तीन लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा ।
3. मौजूदा नयिमों के अनुसार, यदकि कोई उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में कई नरिवाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है, तो उसकी पार्टी को उन सभी नरिवाचन क्षेत्रों के उप-चुनावों का खर्च वहन करना चाहयि, जनिहें उसने खाली कयिा है बशरते वह सभी नरिवाचन क्षेत्र से वजियी हुआ हो ।

उपरयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
(c) केवल 1 और 3
(b) केवल 2
(d) केवल 2 और 3

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- वरष 1996 में जनप्रतनिधित्व अधनियिम, 1951 में संशोधन कयिा गया ताकालोकसभा और वधानसभा चुनावों में एक उम्मीदवार के लयि सीटों की संख्या को 'तीन' से 'दो' तक सीमति कयिा जा सके । **अतः कथन 1 सही नहीं है ।**
- वरष 1991 में, देवी लाल ने तीन लोकसभा सीटों, सीकर, रोहतक और फरीजपुर से चुनाव लड़ा । **अतः कथन 2 सही है ।**
- जब भी कोई उम्मीदवार एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ता है और एक से अधिक सीटों पर जीतता है, तो उम्मीदवार को केवल एक सीट बरकरार रखनी होती है, जसिसे बाकी सीटों पर उपचुनाव होता है । यह परणामी रक्ति के वरिद्ध उपचुनाव कराने के लयि सरकारी खजाने, सरकारी जनशक्ति और अन्य संसाधनों पर एक अपरहिर्य वत्तीय बोझ डालता है । **अतः कथन 3 सही नहीं है ।**

अतः वकिल्प (b) सही उत्तर है ।

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/registered-unrecognized-political-parties>